HO/HRM/RECR/2016-17/COM-58/2571301622 Date: 13.06.2016

Mr. SATYAJIT BEHERA
QR NO D-13
SECTOR-8
ROURKELA-9
SUDERGARH
ORISSA-769009

महोदय/Sir,

विषय/ Sub: नियुक्ति पत्र / Appointment Letter

यूको परिवार में हम आपका स्वागत करते हैं।
We welcome you to the fold of UCO Bank.

आईबीपीएस, मुंबई द्वारा आयोजित सामान्य लिखित टेस्ट और साक्षात्कार तथा उसके उपरांत आपको यूको बैंक आबंटित किए जाने के संदर्भ में आपको सामान्य संवर्ग के अंतर्गत कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-1 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव देते हुए हमें प्रसन्नता है ।
With reference to the Common Written Test and interview conducted by IBPS, Mumbai and on your subsequent allotment to UCO Bank, we have pleasure in offering you an appointment as Probationary Officer in Junior Management Grade Scale – I in Generalist Cadre in the Bank.

यह नियुक्ति पत्र नियुक्ति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है तथा इस बात के अध्यधीन है कि आप इस पत्र के अनुलग्नक -। (बिंदु सं 1 से 22) में यथा वर्णित निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करें । यदि आप इस प्रस्ताव को बिना शर्त के स्वीकार करें तो इस स्वीकृति के प्रतीक रूप में आप इस नियुक्तिपत्र पर अपने हस्ताक्षर करके इसके साथ इसकी तीन फोटो प्रतियां लेकर निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार आईबीपीएस, मुंबई की विज्ञाप्ति में विहित पात्रता मानदंड संबंधी दस्तावेज़ के सत्यापन के लिए रिपोर्ट करें :
This Appointment letter is being issued with the approval of the Competent Authority for appointment subject to your acceptance of the terms and conditions as mentioned in Annexure – I (Point No. 1 to 22) enclosed with this Appointment Letter. If you unconditionally accept the above offer, please bring the original signed copy along with 3 photocopies thereof of this Appointment Letter duly signed as token of such acceptance and report as per schedule given below for the purpose of verification of documents as per eligibility criteria mentioned in the advertisement published by IBPS, Mumbai.

रिपोर्ट करने की तारीख DATE OF REPORTING	रिपोर्ट करने का स्थान PLACE OF REPORTING
11.07.2016 **09:30 AM**	**REGIONAL TRAINING CENTER CHENNAI,** **328, Thambu Chetty Street,** **Chennai- 600 001** **Ph no-044-43405-700/702**

रिपोर्ट करने पर आपको 2 सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उसके बाद प्रशिक्षण केंन्द्रों से आपको भारत में स्थित विभिन्न केंन्द्रों पर ऑन-द-जाब प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। अत: आपसे अनुरोध है कि आप पूरी तैयारी के साथ आएं ।
On reporting, a 2(Two) weeks induction course will be imparted and thereafter you will be sent directly from training center for on-the-job training to various locations in India. Hence, you are requested to come with all preparedness.

आईबीपीएस द्वारा प्रकाशित प्रत्याशियों की चयन सूची तथा आपको यूको बैंक को अलाट किया जाना,आवश्यक दस्तावेज़ की प्रस्तुति तथा उसके सत्यापन के अध्यधीन है । सत्यापन के बाद यदि आप पात्र पाए गए तभी आपको योगदान करने दिया जाएगा ।
The select list of candidates published by IBPS and allotted to our Bank is subject to submission and verification of requisite documents. After verification of documents, if found eligible for the post, you shall be allowed to join.

कृपया नोट करें कि उक्त अनुसूची के अनुसार रिपोर्ट करने में आप यदि विफल रहे तो यह समझा जाएगा कि इस प्रस्ताव में आपकी रुचि नहीं है । ऐसी स्थिति में नियुक्ति का यह प्रस्ताव स्वत: ही रद्द तथा वापस ले लिया गया माना जाएगा ।

Please note that upon failing to report as per above mentioned schedule, it will be construed that you are not interested in our offer of employment and in such case, this offer of appointment shall automatically be treated as cancelled and withdrawn.

भवदीय/Yours faithfully,

(नरेश कुमार / Naresh Kumar)
उप महाप्रबंधक/Dy. General Manager
मासंप्र एवं प्रशिक्षण/ HRM & Training

Accepted
Satyajit Behera

अनु: यथोक्त अनुलग्नक -1 बांड प्रोफार्मा एवम चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाणपत्र
Encl: Annexure – I, Bond Performa & Medical Fitness Certificate as stated
प्रतिलिपि/CC: सेवा अभिलेख कक्ष/Service Record Section, कार्मिक सेवा विभाग/Personnel Services Deptt., प्र. का. /H.O., कोलकाता/Kolkata

नियुक्ति की शर्तें/ Terms & Conditions for Appointment

1. वैंक में रिपोर्ट करते समय आप निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करेंगे:
You shall submit to the Bank following documents at the time of your reporting:

i. वैंक की संतुष्टि के लिए आपके नाम और स्थायी पते का प्रमाण । इस प्रयोजनार्थ आप निम्नलिखित दस्तावेज जिसमें आपके नाम और स्थायी पते के वारे में पूरी सूचना दी गई हो प्रस्तुत कर सकते हैं:
Proof of your name and permanent address to the satisfaction of the Bank and for this purpose you may produce any of the following documents which provides for full information about your name and permanent address:

(क/a)	वोटर पहचान-पत्र	Voter's Identity Card
(ख/b)	पैन कार्ड (केवल पहचान के साक्ष्य के रूप में)	PAN Card (as Identity proof only)
(ग/c)	ड्राइविंग लाइसेंस	Driving License
(घ/d)	पासपोर्ट	Passport
((ङ/e)	आधार कार्ड	Aadhar card

ii. अपने चरित्र के संवंध में शंसापत्र यथा दो चरित्र प्रमाणपत्र जो आपके अंतिम महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के प्राचार्य/ विभागीय प्रधान, राजपत्रित अधिकारी, वैंक अधिकारी अथवा निर्वाचित लोक प्रतिनिधि (संसद सदस्य, विधायक, सरपंच आदि) द्वारा जारी किया गया हो ।
Testimonials in support of your character i.e. two character certificates issued by the Principal/Head of the Department of the College/University last attended ,Gazetted Officer, Bank Officer or elected Public representatives (M.P.,MLA, Sarpanch etc.)

iii. वैंक द्वारा यथा विहित फार्मेट पर शारीरिक रूप से दुरुस्त होने का प्रमाणपत्र जो कम से कम जिला अस्पताल के सिविल/प्रेसिडेंसी सर्जन के पद के अधिकारी द्वारा अथवा वैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। प्रमाणपत्र अनुलग्नक में दिए गए फार्म पर ही जारी किया जाना है।
A Medical fitness certificate issued by a Medical Officer not below the rank of a Civil/Presidency Surgeon of District Hospital or by the Bank's Medical Officer in the form as prescribed by the Bank. The certificate should be issued in the format as given in the annexure.

iv. यदि आप कहीं कार्यरत हैं तो अपनी नौकरी से कार्य-मुक्त/डिस्चार्ज किए जाने के संवंध में पूर्व नियोक्ता से संतोषजनक साक्ष्य एवं लिखित रूप में यह घोषणा कि अव आप कहीं लाभजनक नियोजन में नहीं हैं और आप वैंक में कार्यग्रहण करने हेतु स्वतंत्र हैं । इस प्रमाणपत्र की दो प्रतियां प्रस्तुत करें। उपर्युक्त कार्यमुक्ति/डिस्चार्ज आदेश वेशर्त होना चाहिए।
Satisfactory evidence of you having been relieved/discharged by your previous employer, if any, and declaration in writing that you are no longer in any gainful employment and are free to take up service with the Bank with two copies thereof. The aforesaid release/discharge order must be unconditional.

v आपकी जन्मतिथि/उम्र का संतोषजनक साक्ष्य तथा उसकी तीन प्रतियां ।
Satisfactory evidence of your date of birth /age with three copies thereof.

vi शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के प्रमाणस्वरूप मूल अंक-पत्र एवं मूल प्रमाणपत्र तथा स्व-अभिप्रमाणित उनकी तीन प्रतियां, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शारीरिक रूप से नि:शक्त उम्मीदवार के मामले में भारत सरकार द्वारा विहित फार्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जाति प्रमाणपत्र/शारीरिक नि:शक्तता प्रमाणपत्र और उसकी तीन प्रतियां अवश्य प्रस्तुत की जांय। अ.पि.व के प्रत्याशी अ.पि.व. गैर क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करें। यह प्रमाणपत्र 01.01. 2015 या उसके वाद जारी किया हुआ होना चाहिए ।
Original Mark-sheets and original Certificates along with three self-attested copies thereof in proof of educational qualifications and experience. In case of SC/ST/OBC/PH candidates, original Caste/PH Certificate issued by Competent Authority must be produced in the format prescribed by Govt. of India with three copies thereof. The OBC candidates must produce respective OBC Non-creamy layer certificate, It should be issued on or after 01.01. 2015

vii पासपोर्ट आकार के चार फोटोग्राफ। सुनिश्चित करें कि ये फोटोग्राफ लिखित परीक्षा तथा अंतर्वीक्षा हेतु आईवीपीएस आवेदनों पर लगाए गए फोटोग्राफ के जैसे ही हों।
Four Passport size copies of Photograph. Ensure that the photographs should be same which were attached to the IBPS application for written test and Interview.

viii योगदान के के समय आपसे अपेक्षा होगी कि आप उस राज्य विशेष में जहां वांड निष्पादित होना है, लागू समुचित राशि का स्टाप लगा, गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर वांड निष्पादित करें कि आप वैंक की न्यूनतम दो वर्षों की सक्रिय सेवा करेंगे अन्यथा उस सेवा के वदले रुपए दो लाख की राशि और उस पर लागू सेवाकर का भुगतान वैंक को करेंगे।
At the time of joining, you will be required to execute a Bond on non-judicial stamp paper duly stamped for the amount applicable in the State where it is executed, undertaking to serve the Bank for minimum two (2) years of active service or to pay an amount of Rs.2 Lac plus applicable Service Tax in lieu of such service.

Satyajit Behera

2. आप 2(दो) वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे। (इसे बैंक के स्वविवेक से बढ़ाया जा सकेगा)

You will be on probation for 2 (two) years (which may be extended by the Bank by its discretion).

3. **कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-I का वेतनमान**

<u>Scale of Pay of Junior Management Grade Scale I</u>

रु./Rs. 23700 - 980/7 -30560 -1145/2 -32850 -1310/7 -42020

क.प्र.श्रे.वे.-I में आपके वेतनमान में लागू आपका मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिपूरक भत्ता इस प्रकार है:

In the Scale of pay of JMGS-I, Basic Pay, Dearness Allowance, House Rent Allowance and City Compensatory Allowance, applicable in the grade are as under:

<u>मूल वेतन / Basic Pay</u>: रु.23700/- प्रति माह/per month.

<u>महंगाई भत्ता</u>: जैसा लागू हो (इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता है)

<u>Dearness Allowance</u>: As applicable (which is subject to fluctuation from time to time)

<u>मकान किराया भत्ता*</u> : पदस्थापना के स्थान के आधार पर प्रति माह मूल वेतन का 7% से 9%

<u>House Rent Allowance</u>*: 7 % to 9 % of basic pay per month depending upon place of posting.

* यथा संशोधित यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 22 के अनुसार

As per Regulation 22 of UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979, as amended.

<u>नगर प्रतिपूरक भत्ता</u>** : लागू नियम के अनुसार क्षेत्र-I या अन्य स्थानों पर मूल वेतन के 3% से 4% तक, जो अधिकतम रु. 870/- रु. प्रति माह होगा।

City Compensatory Allowance **: 3% to 4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 870/- per month at a place in Area-I or in other places as per Rules applicable.

** यथा संशोधित यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 23(i) के अनुसार।

As per Regulation 23 (i) of UCO Bank (Officers') Service Regulations 1979, as amended.

4. आप बैंक की सेवा उसी रूप में और उस स्थान पर करेंगे जैसा बैंक आपको समय-समय पर निदेश देगा और आप अपना पूरा समय तथा ध्यान बैंक के कार्य में लगाएंगे ।

You shall serve the Bank in such capacity and at such place as the Bank may, from time to time, direct you and you shall devote your whole time and attention to the Bank's work.

5. बैंक में नियोजन के दौरान आप स्वयं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे:

During your employment in the Bank, you should not engage yourself either directly or indirectly:

i. बैंक के कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय या पेशा ।

in any business or profession other than that of the Bank.

ii. अपने नाम अथवा अपने निकट संबंधी(यों)के नाम बीमा एजेंट का कार्य नहीं करेंगे या उसका प्रचार नहीं करेंगे ।

act as an Agent or canvass/conduct insurance business either in your own name or in the name of your close relative(s).

iii. किसी लिमिटेड कंपनी का निदेशक या किसी भागीदारी फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं करेंगे अथवा स्वयं किसी लाभकारी उद्यम से नहीं जुड़ेंगे ।

function as a Director of any limited company or a partner in any partnership firm or otherwise engage or interest yourself in any venture of profit.

6. बैंक की सेवा में आपके नियोजन और प्रतिधारण की यह शर्त है कि आप कभी भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन किसी/किन्हीं पंचाट (पंचाटों) या करार (करारों) द्वारा या किसी भी अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे अपितु आप पूरी तरह बैंक के अधिकारियों के लिए यथा संशोधित यूको बैंक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976, यथा संशोधित यूको बैंक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 तथा समय-समय पर यथासंशोधित यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 की विद्यमान तथा भावी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगे ।

It is a condition of your employment and retention in the Bank's service that you will at no time be governed by any Award(s) or Settlement(s) under the Industrial Disputes Act 1947 or under any other enactment whatsoever but will be governed exclusively by the Bank's terms and conditions of service, existing as well as future, for its officers including UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976, as amended, UCO Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal)Regulations 1976, as amended, and UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 as amended from time to time.

Satyajit Behera

7.	आपकी सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश के अनुसार भी शासित होंगी। Your Service conditions will also be governed by the guidelines issued by Government of India from time to time.
8.	दिनांक 27.04.2010 के संयुक्त नोट की शर्तों के अनुसार आप परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किए जाएंगे जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिनांक 1 जनवरी, 2004 से लागू एवं समय समय पर यथा आशोधित अंशदायी पेंशन योजना के उपबंधों के द्वारा शासित होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि आप बैंक की भविष्य निधि योजना में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे और आप दिनांक 29.09.1995 से बैंक में लागू परिभाषित पेंशन हित योजना के सदस्य नहीं होंगे। In terms of joint note dated 27.04.2010, you shall be covered by Defined Contributory Pension Scheme, which shall be governed by the provisions of the Contributory Pension Scheme introduced for employees of Central Government with effect from 1st January, 2004 and as modified from time to time. It is clarified that you shall not be entitled to join the P.F. Scheme of the Bank and you will not be member of the Defined Benefit Pension Scheme which was introduced in the Bank on 29.09.1995.
9.	आप समूह बचत बीमा योजना के सदस्य होंगे और आपको अपने संवर्ग के लिए लागू प्रीमियम की उपयुक्त राशि का अंशदान देना होगा। You will be a member of Group Insurance Scheme and will have to contribute an appropriate sum of premium applicable to your category.
10.	यदि आपकी सेवा और /या आचरण असंतोषजनक पाया जाता है या आपके चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में आप द्वारा प्रस्तावित रेफरी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता अथवा संतोषजनक नहीं पाया जाता और/या आवेदनपत्र/ घोषणा पत्र में आप द्वारा दी गई सूचना बाद में मिथ्या या असत्य पाई जाती है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया पाया जाता है तो बैंक के पास परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी सेवा कभी भी समाप्त करने का एकाधिकार होगा। The Bank shall be entitled by its sole discretion to terminate your services at any time during your probation period of service, if your services and/or conduct are considered unsatisfactory or replies from the referees offered by you regarding your character and antecedents are either not forthcoming or considered not satisfactory and/or any information disclosed by you in the application/declaration form subsequently is found false or incorrect and for suppression of any material fact.
11.	परिवीक्षा अवधि में आपका नियोजन एक माह की सूचना देकर या उसकी जगह एक माह की परिलब्धियाँ देकर कभी भी समाप्त किया जा सकता है । (यथा संशोधित यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 का विनियम 16(3)(क)) During probation, your employment is terminable at any time by a month's notice or by payment of one month's emoluments in lieu thereof. (Regulation 16(3) (a) of UCO Bank (Officers') Service Regulations,1979 as amended)
12.	यदि आप द्वारा बैंक को प्रस्तुत की गई कोई सूचना/विवरण यथा आपका नाम, आपकी आयु, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि कभी भी असत्य पाई जाती है कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया पाया जाता है तो बैंक द्वारा आपकी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकती है । If any information /particulars furnished by you to the Bank such as your name, age, educational qualification, experience etc. are found to be incorrect at any time or for any material suppression of facts, your service shall be liable to be terminated by the Bank as per the Banks' extant guidelines/regulations as the case may be.
13.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से नि:शक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनंतिम होगी और यह उचित माध्यम से जाति/जनजाति/शारीरिक रूप से नि:शक्तता प्रमाणपत्र के सत्यापनों के अध्यधीन होगी और यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से नि:शक्त, जैसी भी स्थिति हो, होने या क्रीमी लेयर (अन्य पिछड़े वर्ग के मामले में) में न होने का दावा असत्य है तो कोई कारण बताए बिना सेवा समाप्त कर दी जाएगी तथा झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के संगत धाराओं के अधीन कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगली कार्रवाई की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त एक घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए (घोषणा-पत्र का फार्मेट संलग्न है). In case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Class/Physically Handicapped candidates the appointment is provisional and is subject to Caste/Tribe/Physically Handicapped Certificates being verified through the proper channels and if the verification reveals that your claim that you belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Class/ Physically Handicapped as the case may be or do not belong to creamy layer (in case of O.B.C. candidates) , is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to any such further action as may be taken under the relevant Sections of Indian Penal Code for production of false Certificate. A declaration, in addition to certificate

Satyajit Behera

	issued by the Competent Authority, should be submitted by the candidates seeking reservation as OBC. (Format of undertaking is enclosed)
14.	बैंक की सेवा में पुष्टिकरण के बाद आपका नियोजन तीन माह की सूचना देकर या उसके बदले तीन माह की परिलब्धियाँ देकर कभी भी समाप्त किया जा सकता है। (यथा संशोधित यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 का विनियम 20(1) (क)) Your employment after confirmation in the Bank's service is terminable at any time by three months' notice or by payment of three months' emoluments in lieu thereof. (Regulation 20(1) (a) of UCO Bank (Officers') Service Regulations,1979), as amended.
15.	आप कार्य छोड़ने या अपनी सेवा समाप्त करने या इस्तीफा देने की अपनी मंशा को लिखित रूप में तीन माह की नोटिस दिए बिना बैंक में अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते हैं या समाप्त नहीं कर सकते हैं। (यथा संशोधित यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 का विनियम 20(2)) You shall not leave or discontinue your service in the Bank without giving a three months' notice in writing conveying your intention to leave or discontinuing your service or resigning (Regulation 20 (2) of UCO Bank (Officers') Service Regulations,1979), as amended.
16.	बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपके कार्य, आचरण और क्षमता के संबंध में एकमात्र निर्णायक होगा तथा अन्यथा बैंक की सेवा में आपकी उपयुक्तता या पुष्टिकरण अथवा/प्रतिधारण के संबंध में इसका निर्णय अंतिम होगा। The Bank shall be the sole judge in all matters regarding your work, conduct and capacity as per the Bank's requirements and its decision regarding your fitness or otherwise for confirmation and/or in retention in Bank's service shall be final.
17.	आपकी परिवीक्षा अवधि में बैंक की शाखा/कार्यालय में आपकी पदस्थापना अस्थायी मानी जाएगी और ऐसे केंद्र पर रहने हेतु आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी । Your posting at the branch/office of the Bank during the period of your probation will be deemed temporary & you will have to make your own arrangements for your stay at such centre.
18.	आपको नगर प्रतिपूरक भत्ता तब देय होगा जब आप वैसे केंद्र पर पदस्थापित होंगे जहाँ यह प्रयोज्य है तथा अन्य किसी केंद्र पर आप के पदस्थापित होने पर यह भत्ता या इसके बदले अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा । CCA will be payable to you when you are posted at a Centre as and where it is applicable and the same or any other allowance in lieu thereof will not be payable to you when you are placed at any other Centre.
19.	बैंक में रिपोर्ट करने के लिए आपको यात्रा भत्ता या अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। No travelling or other expenses will be payable to you in connection with your reporting to the Bank.
20.	आपको कोई कारण बताए बगैर आपके पदस्थापन स्थल में कभी भी परिवर्तन करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है तथा बैंक की आवश्यकता के अनुसार आपको भारत में किसी भी शाखा/कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है जिसकी सूचना आपको समय-समय पर दी जाएगी। The Bank reserves the right to change your place of posting any time without assigning any reason to you and you may be posted at any branch/office of the Bank in India which will be communicated to you by the Bank from time to time depending upon Bank's necessity.
21.	आपको लिखित घोषणा करनी होगी कि आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है और आप नैतिक अधमता के लिए किसी न्यायलय द्वारा सजायाफ्ता नहीं रहे हैं और आप दिवालिया घोषित नहीं हुए हैं. You shall declare in writing that there is/are no litigation/s pending against you before any Court of Law and you have never been convicted for any offence by any Court of Law involving moral turpitude and you have not been a declared insolvent.
22.	यह नोट करें कि आप बैंक के सामान्य संवर्ग के अधिकारी हैं और बैंक में लागू नियमों और विनियमों के अध्यधीन सदैव इसी संवर्ग में रहेंगे। बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य और उत्तरदायित्व आपको पूरे करने ही होंगे । It may be noted that you will belong to the Generalist cadre of officers in the Bank and will be at all times subject to the rules and regulations in force in the Bank. You are bound to discharge duties and responsibilities assigned to you by the Bank from time to time.

Satyajit Behera